



एम्स/राजकोट/प्रशा./2024-25/6297

दिनांक- 29/10/2024

परिपत्र 04/2024

विषय: प्रशासनिक कर्मियों से संवाद के संबंध में दिशा-निर्देश

यह देखा गया है कि कई संकाय सदस्य, वरिष्ठ निवासी (एसआर), कनिष्ठ निवासी (जेआर) तथा नर्सिंग कर्मी उचित माध्यम का पालन किए बिना प्रशासनिक कर्मियों से सीधे संवाद कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक कर्मचारियों के प्रति अनुचित व्यवहार के मामले सामने आए हैं। इस तरह का आचरण संस्थान के सुचारू कामकाज को बाधित करता है तथा यह अस्वीकार्य है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि:

- कोई भी संकाय सदस्य, निवासी डॉक्टर (एसआर/जेआर), नर्सिंग कर्मी या कोई अन्य कर्मचारी प्रशासनिक कर्मियों से सीधे संवाद नहीं करेगा।
- प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ कोई भी आवश्यक संवाद लेखा अधिकारी, उप निदेशक (प्रशासन) या कार्यकारी निदेशक के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- इन निर्देशों के किसी भी कदाचार या उल्लंघन करने पर कड़ी अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।



प्रतिलिपि:

- सभी विभागाध्यक्ष/प्रभारी, एम्स - राजकोट
- डीएमएस (ओपीडी/आईपीडी), एम्स - राजकोट
- मानव संसाधन प्रबंधक, (मेसर्स एम.जे. सोलंकी)
- आईटी सेल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

नोट: किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

(डॉ. कुलदीप जी बी)

स्थानापन्न उप निदेशक (प्रशासन)
Offg Deputy Director (Admin.)
एम्स राजकोट - ३६० ००१, गुजरात.
AIIMS Rajkot - 360 001, Gujarat.